DOI: 10.51220/hjssh.v5i1.14
Himalayan J. Soc.Sci. & Humanities Vol- 5 pp.115 -121, December, 2010, ISSN. 0975 - 9891

भारतीय संविधान तथा विधिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का अधिकार

मीता अग्रवाल[1] एवं प्रीती सक्सेना[2]

[1]विधि विभाग, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल-249199
[2]स्कूल ऑफ लीगल स्टड्रीज, बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ

Received: 3-12-2010 **Revised: 19-12-2010** **Accepted: 31-12-2010**

ABSTRACT

विश्व के किसी भी प्रजातन्त्र में शिक्षा के अधिकार के बिना, प्रदत्त अन्य सभी अधिकार महत्वहीन तथा असंरक्षित हैं। हमारे भारतीय संविधान में शिक्षा को, मौलिक अधिकार जो कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है के स्थान पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया। **मोहिनी जैन** बनाम **कर्नाटक राज्य** तथा **उन्नीकृश्णन** बनाम **आन्ध्र प्रदेश** के वाद में न्यायिक कर्मण्यता के माध्यम से शिक्षा को एक नया आयाम मिला वहीं नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के द्वारा नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा मानसिक दबाव और भय रहित वातावरण में प्रदान करने की व्यवस्था की गयी। प्रस्तुत शोध पत्र में स्वतंत्रता के पश्चात् से वर्तमान समय तक भारतवर्श में प्रारम्भिक शिक्षा की संविधान और विधिक परिप्रेक्ष्य में विवेचना की गयी है।

Keywords:- शिक्षा का अधिकार, भारतीय संविधान, न्यायिक कर्मण्यता, नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा।

किसी भी राष्ट्र की शक्ति, प्रजातन्त्र शिक्षा व शिक्षित नागरिकों में निहित होती है। जब तक नागरिक जागरूक और अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सचेत नही होगें, प्रजातन्त्र का कोई अर्थ नही होगा और न ही उनकी स्वतन्त्रता और अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकेगा। देश में भ्रष्टाचार अधीनस्थता और अधिकारवाद अतिविस्तृत हो जायेगा। प्रजातन्त्र के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा से तात्पर्य एक जानकार नागरिक से है जिसे सरकार एवं शासन की प्रत्येक बात की जानकारी है व सोचने, तर्क देने और विवेचना करने की क्षमता रखता है। हिटलर ने कहा था, "How fortunate for leaders that men do not think" इससे स्पष्ट होता है कि प्रजातन्त्रीय देश में शिक्षा की कितनी महत्ता है।

भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार

शुरूआत में भारतीय संविधान सभा ने शिक्षा को मूल अधिकार, जो कि स्वयं संविधान द्वारा प्रत्याभूत और संरक्षित है, में स्थान न देकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन इन्हें देश के शासन मे मूलभूत माना गया है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य बतलाया गया है। संविधान निर्माता इस बात से अवगत थे कि भारत की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी जिसे वह भारत का संविधान देने जा रहे हैं निरक्षर है। वह आशावान थे कि दस वर्ष की अवधि में देश से निरक्षरता दूर हो जायेगी। इसी आशा से मूल संविधान में शिक्षा (86 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 से पूर्व) को संविधान के भाग 4, मुख्य रूप से अनुच्छेद 41,45 तथा 46[1] तक सीमित किया गया। अनुच्छेद 41 राज्य पर यह कर्तव्य भार अधिरोपित करता है कि राज्य अपनी

[1]अनुच्छेद 46: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि-राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेश सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक न्याय ओर सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा ।

©SHARAD

आर्थिक सामर्थ्य के भीतर....शिक्षा पाने के अधिकार को उपलब्ध कराने के लिये प्रभावी उपबन्धों का निर्माण करेगा। अनुच्छेद 45 (जैसा कि मूल संविधान में निहित था) राज्य पर आदेशात्मक रूप में यह आभार अधिरोपित करता था कि राज्य इस संविधान के लागू होने से दस साल के अन्दर 14 वर्श तक के बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। यह एक मात्र अनुच्छेद था, जिसमें शिक्षा को, 1960 तक एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिये समय सीमा निर्धारित की गयी थी। यद्यपि यह लक्ष्य भ्रम साबित हुआ। जहाँ आर्थिक असक्षमता के आधार पर शिक्षा को मूल अधिकार में स्थान नही मिल पाया, वहीं दूसरी ओर Constituent Assembly Debates[2] में के0टी0 शाह ने कहा कि गोपाल कृष्ण गोखले अनिवार्य प्राइमरी ज़िक्षा के लिये प्रस्ताव (Bill) लाये थे जिसे स्वतन्त्रता पूर्व सरकार द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया कि शिक्षा पर तीन करोड़ का खर्च राजकोश के लिये सहन करना मुश्किल होगा। हालांकि चार साल के अन्दर भारतीय सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध मे 30 करोड़ रू0 खर्च किये गये थे। जिस युद्ध से भारतीयों का न तो सम्बन्ध था और न ही उनसे सलाह ली गयी थी। इस प्रकार शिक्षा के प्रति प्रारम्भ से ही उपेक्षात्मक व्यवहार प्रतीत होता है। जबकि किसी भी देश का विकास शिक्षित जनता पर निर्भर करता है।

शिक्षा का अधिकार और न्यायिक कर्मण्यता

भारतीय संविधान मे निहित शिक्षा के लक्ष्य को जो कि स्वतन्त्रता के 52 वर्षों के बाद भी प्राप्त नही हो पाया था, न्यायिक कर्मण्यता के कारण एक नयी दिशा मिली। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के अर्न्तगत प्रदत्त जीवन के अधिकार का विस्तृत निर्वचन करते हुये निर्धारित किया कि जीवन के अधिकार में केवल अस्तित्व में बने रहने का अथवा पशुवत जीवित रहने का अधिकार सम्मिलित नहीं है, अपितु इस अधिकार के क्षेत्र में मानव गरिमा के साथ और ऐसे सब कुछ के साथ जीवित रहने का अधिकार सम्मिलित है जो जीवन को गरिमामय बनाता है। इस प्रकार इस अधिकार की परिधि में जीवन की सभी आवश्यक वस्तुओं का अधिकार सम्मिलित है जैसे कि पर्याप्त पौष्टिक आहार, कपड़ा और मकान तथा **लिखने-पढ़न**[3] और अपने को विभिन्न तरीके से अभिव्यक्त करने की सुविधायें, स्वतंत्र विचारण आदि। **मोहिनी जैन** बनाम **कर्नाटक राज्य**[4] के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने स्वत: एक सकारात्मक निष्कर्ष व्यक्त किया कि शिक्षा किसी भी सीमा तक (up to any limit) अनुच्छेद 21 के अनतर्गत जीवन के अधिकार की परिधि में आती है। यद्यपि **उन्नीकृश्णन** बनाम **आंध्रप्रदेश**[5] के केस मे उच्चतम न्यायालय ने **मोहिनी जैन** के मामले में दिये गये निर्णय को आंशिक रूप से उलट दिया और यह अभिमत व्यक्त किया कि शिक्षा का अधिाकार अनुच्छेद 21 के अधीन विवक्षित है जहाँ तक नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न है, यह हर उस बालक का मूल अधिकार है, जो भारत का नागरिक है और जिसकी आयु 14 वर्ष से अधिक नही है....अनुच्छेद 21 का अर्थान्वय अनुच्छेद 41, 45, व 46 की रोशनी में किया जाना चाहिए। जहाँ तक 14 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार का प्रश्न है, वह विशुद्ध व परम अधिकार नही बल्कि राज्य की आर्थिक क्षमता तथा विकास की सीमा के अधीन एक अधिकार है।

---

[2] (CAD) Vol. VII p. 480.

[3] **फ्रान्सिस कोराली मुलिन** बनाम **दिल्ली प्रशासन** (1981)। एस0सी0सी0 608 पृ0 68.

[4] (1992) 3 एस0 सी0 सी0 666.

[5] (1993) 1 एस0 सी0 सी0 645.

शिक्षा: एक मौलिक अधिकार

अन्ततः भारतीय सरकार के द्वारा वर्श 2002 में, 86वॉ संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया और भाग 3 में एक नया मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21-क के रूप में सम्मिलित किया गया जो कि उपबन्धित करता है कि राज्य छः से चौदह वर्ष की आयु के सभी बालकों को उस रीति से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि वह विधि द्वारा अवधारित करे। भाग 4, अनुच्छेद 45 में छः वर्षों से कम आयु के बालकों के लिये प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देख-रेख और शिक्षा का उपबन्ध प्रत्यास्थापित किया जो कि उपबन्धित करता है कि राज्य सभी बालकों के लिये जब तक वह छः वर्ष की आयु पूरी न कर लें प्रारंभिक बाल्यावस्था की देख-रेख व शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 51.क में एक नया मूल कर्तव्य[6](ट) जोड़ा गया जो कि माता-पिता अथवा संरक्षक से यह अपेक्षा रखता है कि वह छः और चौदह वर्ष की आयु के बीच के अपने बालक अथवा यथास्थिति प्रतिपाल्य को शिक्षा का अधिकार प्रदान करें।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21.क में निहित शिक्षा का अधिकार एक मात्र ऐसा मौलिक अधिकार था जिसे प्रभावी होने के लिये अधिनियम की आवश्यकता थी। पुनः सात वर्ष की लम्बी प्रतीक्षा के पश्चात् निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया, जो कि सम्पूर्ण भारत वर्ष मे (जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त) 01 अप्रैल, 2010 से लागू हो गया है। जिसका प्रचलित नाम शिक्षा का अधिकार, 2009 (RTE) है।

उद्देश्य

इस अधिनियम का उद्देश्य छः वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध करना है।

अधिनियम के महत्वपूर्ण प्राविधान

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

अधिनियम की धारा-3 में उपबंधित किया गया है कि छः वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा[7] पूरी होने तक किसी आस-पास के विद्यालय[8] में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कोई बालक किसी प्रकार की फीस या ऐसे प्रभार (Charges) या खर्चे देने के लिये उत्तरदायी नहीं है, जो कि उसे प्रारंभिक शिक्षा लेने और पूरी करने से रोके।

निःशक्तता से ग्रस्त बालक[9] निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1996' के अध्याय 5 के उपबन्धों के अनुरूप प्राप्त कर सकते हैं।

---

[6]मूल कर्तव्य विधि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं ।

[7]कक्षा एक से आठ तक।

[8]आस-पास के विद्यालय से तात्पर्य कक्षा 1 से कक्षा 5 के बालकों के सम्बन्ध में आस-पास की (आबादी क्षेत्र से) 1 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर और कक्षा 6 से 8 तक बालकों के सम्बन्ध में आस-पास की (आबादी क्षेत्र से) 3 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर से है।

[9]निःशक्तता से तात्पर्य है-Blindness, lowvision, leprosy-cured having impairment, locomotor disability, mental retardation, mental illness.

छः वर्ष से अधिक आयु के ऐसे बालक जो प्रारंभिक शिक्षा पूरी नही कर पाये हैं या जिन्हें किसी ऐसे विद्यालय में प्रवेश नही दिया गया है, वह अपनी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं, और उन्हें अन्य बालकों के समान होने के लिये विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा। हालांकि विशेष प्रशिक्षण की पद्धति और समय के विषय में यह अधिनियम शान्त है, और व्यवस्था करता है कि इसे अधिनियम के अधीन बनायें गये नियमों मे स्पष्ट किया जायेगा[10]।

विद्यालयों का उत्तरदायित्वः शिक्षा का अधिकार (धारा 12)

यह निःशुल्क शिक्षा, समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित या उसके स्वामित्व या नियन्त्रण के अधीन जो विद्यालय (सरकारी विद्यालय)हैं उनमें उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही विर्निदिष्ट प्रवर्ग के विद्यालय[11] तथा गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों का दायित्व है कि वह पहली कक्षा में आस-पास के दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बालकों को उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देंगे और निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा-प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक प्रदान करेंगे। आंशिक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय अपने विद्यालय में प्रवेज़ दिये गये बालकों के कम से कम पच्चीस प्रतिशत को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करेंगे।

समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिये व्यवस्था करना (धारा 11)

प्राथमिक शिक्षा के लिये तीन वर्ष से अधिक आयु के बालकों को तैयार करने तथा सभी बालकों के लिये जब तक वे छः वर्ष की आयु पूरी करते हैं, आरम्भिक बाल्यकाल की देख-रेख और शिक्षा की व्यवस्था करने की दृष्टि से समुचित सरकार, ऐसे बालकों के लिये निःशुल्क विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी।

प्रवेश के लिए प्रतिव्यक्ति (कैपिटेशन) फीस और अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) प्रक्रिया का निशेध (धारा 13)

कोई विद्यालय या व्यक्ति, किसी बालक को प्रवेश देते समय कोई कैपिटेशन फीस संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नही रखेगा। विद्यालय या व्यक्ति यदि इस नियम का उल्लंघन करता है तब कैपिटेशन फीस लेने पर जुर्माने से, जो कि प्रभारित (Charged) कैपिटेशन फीस के दस गुना तक हो सकेगी, दण्डनीय होगा। बालक को स्क्रीनिंग प्रक्रिया

[10]केन्द्रीय सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 29 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 बनाए हैं जो कि भारतवर्ष में 08 अप्रैल 2010 से लागू है तथा साथ ही सरकार और स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि में ऐसा विद्यालय स्थापित करेंगे जहाँ इस प्रकार विद्यालय स्थापित नही है। इस नियम के अर्न्तगत विशेष प्रशिक्षण की जिम्मेदारी समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन और प्रबंधनाधीन किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबन्ध समिति को सौंपी गयी है। वह विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा करने वाले बालकों की पहचान करें, और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। इस हेतु आयु के अनुरूप शिक्षा सामग्री तैयार करवाने का दायित्व समुचित सरकार द्वारा अधि सूचना द्वारा विर्निदिष्ट शिक्षा प्राधिकारी को सौंपा गया है। यह प्रशिक्षण विद्यालय के परिसर मे लगायी गयी कक्षाओं में या सुरक्षित आवासीय सुविधाओं में आयोजित कक्षाओं में दिया जाएगा। प्रशिक्षण का कार्य, कार्यरत अध्यापकों द्वारा अथवा इस निमित्त विशेष रूप से नियुक्त किये गये अध्यापकों द्वारा दिया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम तीन मास की होगी जिसे विद्या की प्रगति के पीरियाडिक निर्धारण के आधार पर अधिकतम दो वर्ष तक के लिये विस्तारित किया जा सकता है। ऐसे बालक का अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान रखा जायेगा ताकि उन्हे शेश कक्षा के साथ जुड़ने में शैक्षणिक तथा भावनात्मक रूप से समर्थ बनाया जा सकें।

[11]केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय या अन्य विद्यालय जिसे समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

के अधीन रखने पर जुर्माने से, पहले उल्लंघन पर पच्चीस हजार रूपये और प्रत्येक उसके बाद किये गये उल्लंघन के लिए पच्चास हजार रूपये तक से दण्डनीय होगा।

अनुत्तीर्ण करने व निष्कासित करने पर प्रतिशेध (धारा 16)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-16 के अनुसार किसी विद्यालय मे प्रवेश प्राप्त बालक को कक्षा एक से आठ तक न तो अनुत्तीर्ण किया जायेगा और न ही प्राथमिक शिक्षा पूरी किये जाने तक निष्कासित किया जायेगा। इस नियम का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। यहाँ यह कहा जा सकता है कि यह नियम अमेरिका के 'No Child Left Behind' कार्यक्रम के अनुरूप है।

शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिबन्ध (धारा 17)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 17(1) विद्यार्थियों को शारीरिक दण्ड देने और उनका मानसिक उत्पीड़न करने का प्रतिशोध करती है। किसी भी शिक्षक द्वारा इस नियम का उल्लघंन करने पर सेवा शर्तों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की व्यवस्था की गयी है। धारा-17(2)

शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिशेध (धारा-28)

इस अधिनियम के अर्न्तगत स्पष्ट रूप से किसी भी शिक्षक या शिक्षिका द्वारा प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप को निशिद्ध किया गया है।

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत बोर्ड परीक्षा की अनपेक्षा (धारा-30)

किसी बालक से प्रारम्भिक परीक्षा (कक्षा एक से आठ तक) पूरी होने तक कोई बोर्ड परीक्षा उर्त्तीण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।

गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिये शिक्षकों को अभिनियोजित किये जाने का प्रतिशेध (धारा 27)

किसी शिक्षक को दस वर्षीय जनसंख्या, जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों या यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मण्डलों या संसद के निर्वाचनों से सम्बन्धित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिये अभिनियोजित नही किया जायेगा। जबकि 2008 में उच्चतम न्यायालय[12] ने अभिमत व्यक्त किया कि सरकारी स्कूल के अधयापकों की सेवायें स्कूल खुलने के दौरान चुनाव कार्यो में लेने का परिणाम यह होता है कि अध्यापक लम्बें समय तक स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं और इसका प्रभाव पाठ्यक्रम का पूरा न होना, खराब परिणाम, खुली परीक्षा में प्रतिर्स्पधा पर अक्षमता और उच्च ड्रापआउट दर के रूप में परिलक्षित होता है। यह सत्य है कि चुनाव का आयोजन करना एक सम्प्रभु कार्य है और सर्वोपरि महत्ता का है, लेकिन इस कारण बालकों की शिक्षा उपेक्षित नहीं होनी चाहिये। मताधिकार का प्रयोग महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षा का अधिकार भी बराबर महत्ता रखता है। साथ ही उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्देश भी दिया गया कि शिक्षक स्टाफ को केवल अवकाश के दिनों या गैर शिक्षण के दिनों या स्कूल समय के बाद चुनाव कार्यो

[12] इलेक्शन कमीशन आफॅ इण्डिया बनाम् सेन्ट्स मैरी स्कूल व अन्य (2008) MCJ 1062(SC).

के कर्तव्यों पर लगाया जा सकता है, हालांकि गैर शिक्षकीय कर्मचारी, प्रत्येक दिन और समय ऐसे कर्तव्यों पर लगाये जा सकते हैं जो कि कानून द्वारा अनुमेय हों।

बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करने की व्यवस्था

नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार सम्बन्धी परिवादों की जांच बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा-3 के अर्न्तगत गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग या धारा-17 के अधीन गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग करेगा[13]। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी बालक के अधिकार के सम्बन्ध में कोई शिकायत है, अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी को लिखित में शिकायत कर सकेगा।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्राविधान

* यह अधिनियम नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता-पिता के कर्तव्यों को निर्धारित करता है और केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा विभाजित करने का निर्देश देता है।

* यह अधिनियम शिक्षकों की नियुक्ति के लिये योग्यताएं, कर्तव्यों और सेवा शर्तो को भी उपबन्धित करता है। छात्र-शिक्षक अनुपात,[14] पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी मानक निर्धारित किये गये हैं। शिक्षा का माध्यम जहाँ तक सम्भव हो, बालक की मातृ भाषा मे निर्धारित करता है।

भारतवर्ष में शिक्षा की दशा, गुणवता तथा परिमाण दोनों ही दृष्टिकोण से सोचनीय है। शिक्षा के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये समाज के सम्बन्धित व्यक्तियों, जागरूक नागरिकों, राजनीतिक इच्छा और शिक्षकों की भागीदारी आवश्यक है। 86 वॉ संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा बाल्यावस्था की देख-रेख तथा शिक्षा को अनुच्छेद 45 में निहित किया गया है जो कि विधि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-11 के अनुसार सरकार 3 से 6 वर्ष तक के बालकों की आरम्भिक बाल्यावस्था की देख-रेख और शिक्षा की व्यवस्था कर सकेगी। प्रारम्भिक बाल्यावस्था किसी भी बालक के विकास के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है, विशेष रूप से वंचित वर्ग के बालकों के लिये तथा जिनके माता-पिता निरक्षर हैं, को केवल सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की आयु सीमा 14 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष तक की जानी चाहिए, क्योंकि इस उम्र तक ही बालक 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर पाते हैं और उनमें समाज व राष्ट्र के प्रति एक परिपक्व समझ विकसित हो पाती है। कक्षा 12 तक शिक्षित बालक प्रजातंत्र में एक ज्यादा

---

[13] नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के अनुसार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (REPA) को एक चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना करने का निर्देश दिया गया है जो अधिनियम के अधीन बाल अधिकारों के उल्लंघन के सम्बन्ध में परिवादों को पंजीकृत करेगा जिसे उसके द्वारा पारदर्शी ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से मॉनिटर किया जा सकेगा।

[14]पहली कक्षा से पांचवी कक्षा में यदि प्रवेश किये गये बालकों की संख्या साठ है तो दो शिक्षक 61 से 90 के मध्य में तीन 91 से 120 के मधय में चार 121 और 200 के मध्य में पांच शिक्षक होंगे। जहॉ विद्यालय में बालक 150 या 200 से अधिक हैं वहाँ एक प्रधानाध्यापक

जागरूक नागरिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेंगे। भारत बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की अभिसमय का हस्ताक्षरक (Signatory) भी है जिसमें बालक की आयु 18 वर्ष तक परिभाषित की गयी है। अत: शिक्षा के मौलिक अधिकार तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के लिये 3 से 18 वर्ष के सभी बालकों को इस अधिनियम की परिधि के भीतर लाया जाना चाहिये, अन्यथा शिक्षा का मौलिक अधिकार और शिक्षित समाज की अवधारणा मृग मरीचिका सावित होगी।

यदि यह अधिनियम बालकों को स्कूल में रोकने में तथा अध्यापक बालकों का सर्वांगीण विकास, प्रतिष्ठापित मूल्यों के अनुरूप ज्ञान, अन्त:शक्ति व शारीरिक मानसिक योग्यता का निर्माण करने में सफल रहते हैं तब ही एक नये साक्षर समाज की संरचना सम्भव हो सकेगी।

और प्रधानाध्यापक को छोड़कर छात्र शिक्षक अनुपात चालीस से अधिक नही होगा। यदि हम अमेरिका के मानक देखें वहाँ एक कक्षा में 20 बालक हो सकते हैं।

छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिये कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक होगा और इस प्रकार होगा कि विज्ञान और गणित सामाजिक अध्ययन भाषा के लिये कम से कम एक शिक्षक होगा। पैंतीस बालकों के लिये एक शिक्षक और जहाँ एक सौ से अधिक बालकों को प्रवेश दिया है वहां-एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक कला शिक्षा, स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा के लिये अंशकालिक शिक्षक होंगे।